प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्र. 1458/2005

कोरम : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

और माननीय श्री दिलीप रावसाहब देशमुख, न्यायाधीश

याचिकाकर्ता : 1. अमित कुमार द्विवेदी, पिता श्री रामधन द्विवेदी, आयु 31 वर्ष, निवासी– पोस्ट बिरकोना, जिला बिलासपुर।
2. अशोक गुप्ता, पिता श्री शारदा प्रसाद गुप्ता, निवासी–सीपत रोड, सरकण्डा, निवासी घनश्याम साहू, बिलासपुर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल, रायपुर।
2) उप महाप्रबंधक (वित्त) और आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भारत संचार निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्कल, रायपुर।
3) भारत संचार निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्कल, रायपुर, द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्कल, रायपुर।

एवं

रिट याचिका क्र. 1771/2005

याचिकाकर्ता : 1. सोमप्रकाश गिरि, पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र प्रकाश गिरी, आयु लगभग 71 वर्ष, निवासी– ग्राम और पोस्ट मारौद, जिला धमतरी (छ०ग०)

विरुद्ध

<u>उत्तरवादीगण</u> : 1) 1. भारत संचार निगम लिमिटेड, (भारत सरकार का एक उद्यम), पंजीकृत और निगमित कार्यालय–10 वीं मंजिल, स्टेटमैन हाउस, बी–148, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, द्वारा डी. डी. जी.(विपणन)

2) मुख्य महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल, जी. ई. रोड, रायपुर (छ०ग०)

3) महाप्रबंधक (विपणन), भारत संचार निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्कल, जी. ई. रोड, रायपुर(छ०ग०)

उपस्थिति: : याचिकाकर्ताओं के लिए श्री समीर साहू, अधिवक्ता (रिट याचिका क्र. 1458/2005)

: याचिकाकर्ता के लिए श्री आशीष श्रीवास्तव, अधिवक्ता (रिट याचिका क्र. 1771/05)

: बीएसएनएल के लिए श्री वीवीएस मूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री आर. एम. सोलापुरकर, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मौखिक आदेश

(दिनांक 16 जनवरी 2006 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश एसआर नायक, मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया ।

1. दो व्यक्तियों, जिन्होंने दावा किया है की उन्होंने इन याचिकाओं का मुकदमा निःशुल्क लड़ा है, द्वारा दायर जनहित याचिका के रूप में दायर इन दो रिट याचिकाओं में, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्किल, रायपुर के मुख्य महाप्रबंधक की कार्रवाई को चुनौती दी है, जिसमें दूसरे उत्तरवादी ने "कंप्यूटर द्वारा प्रतीक्षा सूची के लिए ड्रा" नामक विधि द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अपने

उपभोक्ताओं को सेलुलर मोबाइल टेलीफोन के लिए बीएसएनएल सिम कार्ड के वितरण और आवंटन की अनुमति दी है।

2. रिट याचिका में, यह तर्क दिया गया है कि दूसरे उत्तरवादी द्वारा अपनाया गया आक्षेपित तरीका बीएसएनएल द्वारा पहले अपनाए गए 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत है।

3. इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस के जवाब में, उत्तरवादीगण ने अपना जवाबदावा दाखिल किया है। जवाबदावा में, रिट याचिका में लगाए गए सभी तात्विक आरोपों को नकारते हुए, यह कथन किया गया है कि दूसरे उत्तरवादी ने प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों के लिए एक कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ आयोजित करने का निर्णय लिया था, जो एक सुविचारित प्रक्रिया के बाद और छत्तीसगढ़ दूरसंचार सर्कल में सभी एस. एस. ए. प्रमुखों से परामर्श करने के बाद ही लिया गया था ताकि पारदर्शिता बनाए रखी जा सके और कदाचार से बचा जा सके। इसके अलावा, दोनों रिट याचिकाओं में, उत्तरवादियों द्वारा दायर अतिरिक्त शपथपत्र के साथ, बीएसएनएल क्र. 27–16/2004–मार्केटिंग की कार्यवाही दिनांक 8 दिसंबर 2005 अनुलग्नक आर/5 के रूप में संलग्न की गई है, ताकि यह दिखाया जा सके कि दूसरे उत्तरवादी की कार्रवाई को बीएसएनएल द्वारा अनुमोदित और अनुसमर्थित किया गया है। अनुलग्नक आर/5 इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"प्रिय श्री यज्ञ,

विषय:सिम कार्ड की कालाबाजारी।

सिम कार्ड का विषय जनता द्वारा मीडिया (टेलीविजन, समाचार पत्र) के माध्यम से नियमित रूप से उठाया जा रहा है। सिम कार्ड के कालाबाजारी की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए इस कार्यालय से समय–समय पर कई उपायों की अनुशंसा की गई थी। परंतु

ऐसा प्रतीत होता है कि कालाबाजारी के खतरे पर अंकुश लगाने के लिए किए गए प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। यह अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में कालाबाजारी का विषय न उठे, इसके लिए उचित कदम उठाए जाएं–

(i) प्रीपेड कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची को आपके सर्कल में संधारित किया जाना आवश्यक है जैसा कि पत्र क्र. 114–8/2005–सीओएमएमएल दिनांक 11.08.2005 में उल्लेख किया गया है। प्रतीक्षा सूची को प्रतिदिन के आधार पर संधारित की जाये और उस दिन के भीतर वरिष्ठता को यादृच्छिक रूप से कम्प्यूटरीकृत लॉटरी प्रणाली के साथ संधारित की जाये। इस प्रकार बनाई गई प्रतीक्षा सूची नियमित अंतराल पर सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाये और जनता की मांग पर पी. आर. ओ. के पास उपलब्ध हो।

(ii) प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणियों में सिम कार्डों की आसान उपलब्धता के संबंध में सार्वजनिक सूचना/विज्ञापन जारी किए जाये, जिनमें विभिन्न बिक्री केन्द्रों के नाम और पते की जानकारी दी जाएगी। इस विज्ञापन में सतर्कता अधिकारी का नाम और पता भी होना चाहिए, जिससे जनता को किसी भी समय उनसे संपर्क कर सके, ताकि यदि कोई सिम कार्ड की कालाबाजारी करता हुआ दिखाई दे तो उसे सूचित किया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(iii) यदि कोई फ्रेंचाइजी/उप–फ्रेंचाइजी/एसटीडी/पीसीओ धारक/डाकघर कालाबाजारी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसे तत्काल प्रभाव से बीएसएनएल की गतिविधियों से निलंबित किया जाये।

(iv) सर्कल के सतर्कता अधिकारी जीएम (मार्केटिंग) या जीएम (मोबाइल) या जीएम (बीडी) के साथ बिक्री केंद्र पर मौके का निरीक्षण करे और उन लोगों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करें जो ऐसी कालाबाजारी की गतिविधियों में सम्मिलित पाए जाते हैं। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मोबाइल/विपणन इकाइयां मौजूदा ग्राहकों के साथ सर्वेक्षण सुनिश्चित कर सकती हैं और मोबाइल/विपणन इकाइयां मौजूदा उपभोक्ताओं के साथ सर्वेक्षण करना सुनिश्चित करें तथा सिम कार्ड कहां से, किस कीमत पर, किस फर्म से जारी किए गए, आदि के बारे में जानकारी सिम कार्ड प्राप्त करते समय ली जाए।

(v) फ्रेंचाइजी को सिम केवल इस सत्यापन के बाद वितरित किए जाये कि प्रीपेड सिम कार्ड के पहले का लॉट सक्रिय हो गया है।

(vi) कॉल सेंटर/टेली–मार्केटिंग समूह को यादृच्छिक आधार पर ग्राहकों को फोन लगाने और ग्राहक के नाम और पते की पुष्टि करने के लिए कहा

जाये। इससे किसी भी उपभोक्ता द्वारा सिम कार्ड की फिर से बिक्री से बचा जा सकेगा।

(vii) उपरोक्त कार्यवाही पूरी ईमानदारी से की जानी चाहिए तथा सभी स्तरों पर उसका अनुवर्तन किया जाना चाहिए।

शुभकामना सहित ।

भवदीय
सही/–
(जीएस ग्रोवर)

श्री राम यज्ञ,
मुख्य महाप्रबंधक,
छत्तीसगढ़ टेलीकॉम सर्कल,
रायपुर

पृष्ठांकन क्र. सीएमटीएस / सिम वितरण / 05–06 / 57 रायपुर दिनांक 22–12–2005

जानकारी और कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित की गईः

1. जीएमटी जिला रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
2. टीडीएम जगदलपुर/रायगढ़/अम्बिकापुर।
3. डीजीएम (विपणन), कार्यालय सीजीएमटी रायपुर।

सही/–
डी. जी. एम (मोबाइल)
सीजीएम टेलीकॉम,
छ. ग. सर्कल, रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुलग्नक आर/5 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा जनहित में, सिम कार्डों की कालाबाजारी को रोकने और सिम कार्डों के आवंटन के मामले में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आक्षेपित पद्धति अपनाई गई है। उत्तरवादी –अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव के आधार पर और दुष्प्रक्रियाओं को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ लिए गए निर्णय को न्यायिक पुनर्विलोकन के किसी भी स्वीकार्य आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी ओर, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि द्वितीय उत्तरवादी द्वारा अपनाई गई आक्षेपित विधि, जिसे बीएसएनएल द्वारा अनुमोदित और अनुसमर्थित

किया गया है, का उद्देश्य जनहित की पूर्ति करना और सिम कार्ड के आवंटन के मामले में पारदर्शिता बनाए रखना है। प्रकरण के उस दृष्टिकोण में, हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं, तथापि, वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur